मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2010—भाद्र 24, शक 1932

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. ई-3786-तीन-1-5-57-भाग-1-अ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 में,—

(क) उप नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु उच्च न्यायालय, अधिसूचना द्वारा, किसी न्यायालय के कार्यालयीन समय में वृद्धि कर सकेगा जिससे लंबित मामलों में कमी करने तथा कतिपय वर्ग के मामलों का, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो त्वरित परीक्षण करने की दृष्टि से सायंकालीन न्यायालयों की स्कीम क्रियाशील हो सकें",

(ख) उप नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

परंतु उपनियम (1) के परंतुक के अधीन विस्तारित कार्यालयीन समय में कार्य करने के लिए अधिसूचित न्यायालय 30 मिनिट की अवधि का और अंतराल लेंगे",

(ग) उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(3) उपनियम (1) के परंतुक के अधीन विस्तारित कार्यालयीन समय में कार्य करने के लिए अधिसूचित न्यायालयों में कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारी ऐसे पारिश्रमिक के हकदार होंगे जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियत किए जाएं".

Jabalpur, the 10th September 2010

No.E-3786-III-1-5-57-Chapter-I-A.—In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India read with Section 23 of Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court of

Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 1.—

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the High Court may, by notification, extend the working hours of any court so as to make the scheme of Evening courts functional in order to reduce the pendency and expedite trial of certain class of cases as specified in the notification",

(b) in sub rule (2), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the courts notified for extended working hours under the proviso to sub-rule (1) may observe another interval of 30 minutes duration",

(c) after sub-rule (2), the following new sub-rule shall be added namely:—

"(3) Judicial Officers working in courts notified for extended working hours under the proviso to sub-rule (1) shall be entitled for such remuneration as may be fixed by the Government of Madhya Pradesh, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh."

मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.